रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102022-239940
CG-DL-E-29102022-239940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4850]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 28, 2022/कार्तिक 6, 1944
No. 4850]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5068(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2530(अ),दिनांक 17 सितंबर, 2015 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 214ए (नया रारा-216) के किमी 122.725 से किमी 184.855 (रेपल्ले से ईपुरपालेम) तक के खंड को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसमें ''उक्त, नियम'' के रूप में उल्लिखित है), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.214ए [नया रारा-216] के रेपल्ले – ईपुरपालेम खंड के डिजाइन किमी 122.725 से किमी 184.855 (मौजूदा किमी 129.927 से किमी 195.000) तक की 3.05 किमी लंबाई की निवल सड़क खंड के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% और दस करोड़ रुपए या अधिक लागत वाले 8.7 किमी लंबाई वाले बाइपास के चार लेन खंड के उपयोग के लिए आधार दर के 150% और 30.944 किमी लंबाई की निवल सड़क खंड और (60 मी से अधिक लंबाई वाले) 4.820 किमी (0.482 किमी की कुल लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% दर पर तथा दस करोड़ रुपए या अधिक लागत वाले 18.954 किमी लंबाई वाले बाइपास के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन खंड के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90% दर पर यांत्रिक वाहन से फीस फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्-:

तालिका-।

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका 2

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क देय है	दर जिस पर शुल्क देय है
आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम गांव के पास रारा-214ए (नया रारा-216) के किमी.157.950 पर	3.05 किमी [(बाईपास की लंबाई (लागत> 10 करोड़) और संरचनाओं की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर)]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	30.944 किमी [(बाईपास की लंबाई (लागत> 10 करोड़) और संरचनाओं की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर)]	पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपरोक्त के अलावा, ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट बाईपास की लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा: -

तालिका-3

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरू होना	पर मिलना	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		जिस दर पर शुल्क देय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	
आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम गांव के पास रारा-	रारा-216 का रेपल्ले और कोरोमुरु बाईपास	डिजाइन किमी 123.040 (मौजूदा किमी 130.235)	डिजाइन किमी 136.000 (मौजूदा किमी 147.885)	12.854	60.84	पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के

214ए (नया रारा-216) के किमी.157.950 पर	रारा-216 का कनागला बाईपास	डिजाइन किमी 138.025 (मौजूदा किमी 149.895)	डिजाइन किमी 140.875 (मौजूदा किमी 152.390)	2.85	13.38	लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	रारा-216 का चंदोल बाईपास	डिजाइन किमी 154.150 (मौजूदा किमी 165.279)	डिजाइन किमी 157.400 (मौजूदा किमी 168.620)	3.25	15.25	
			कुल लंबाई	**18.954**	**89.47**	
	रारा-216 का बापटला बाईपास	डिजाइन किमी 172.520 (मौजूदा किमी 183.850)	डिजाइन किमी 181.220 (मौजूदा किमी 191.300)	8.7 (4-lane)	115.5	चार लेन या अधिक के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	बाईपास की कुल लंबाई			**8.7**	**115.5**	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका 4

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**संरचनाओं की लंबाई (किमी में) को समान सड़क लंबाई में परिवर्तित किया जाना है**	**समान सड़क की लंबाई (किमी में)**	**जिस दर पर फीस संदेय है**
आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम गांव के पास रारा-214ए (नया रारा-216) के किमी.157.950 पर	0.482*	4.82	पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

* <u>विवरण निम्नानुसार है:</u>

क्र.सं.	चैनेज		अवसंरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	164+265	164+355	बड़ा पुल	0.090
2	170+822	171+008	बड़ा पुल	0.186

3	181+605	181+705	बड़ा पुल	0.100
4	132+396	132+502	आरओबी	0.106
कुल				**0.482**

4. एक ऐसे व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2022-23 के लिए 315.00 रुपये (तीन सौ पंद्रह मात्र) है, जो गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत एक यांत्रिक वाहन का मालिक है और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है और यह उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुलयात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्: -

तालिका 5

भुगतान-योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत रु. 737.76 करोड़ है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने,आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं एमओआरटीएच/पीआईयू/एमपीटी/एनएचडीपी-IV/एनएच-216/16-17/13/टोल अधिसूचना]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 5068(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2530(E) dated 17th September 2015 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometer 122.725 to kilometer 184.855 (Repalle to Eeppurpalem) of National Highway No.214A (New NH-216) in the state of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles in column(1) at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 3.05Km and at 150% of the base rate for bypass having length 8.7Km costing rupees ten crores or more for the use of four lane section and at 60% of the base rate for net length of 30.944Km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.820 Kms (having total length of 0.482Kms) and at 90% of the base rate for bypasses having length of 18.954Kms costing rupees ten crores or more for the use of two lane with paved shoulder in the type of vehicles specified in column(1) of Table 1 below for Repalle to Eeppurpalem section of National Highway number NH-214A [New NH-216)] from design Km 122.725 to Km.184.855 (Existing km.129.927 to km.195.000) in the state of Andhra Pradesh and authorizes the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a Contractor, the said fee, namely:-

Table - 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.2
Three-axle Commercial Vehicles	2.4
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.2

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza: -

Table -2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is Payable	Rate at which fee is payable
At Km.157.950 of NH- 214 A (New NH-216) near Reddypalem village in Guntur District of State Andhra Pradesh	**3.05Km** [Excluding length of bypasses (costing>10Cr) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table -1 above
	30.944Km [Excluding length of Bypasses (costing>10Cr) and length of structures (>60m)]	60% for two lane with paved shoulders the base rates mentioned in Table -1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 Crore or more at the following fee plaza for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza: -

Table-3

Location of fee plaza (chainage)	**Name of the bypass**	**Taking off**	**Merging at**	**Length and cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km.157.950 of NH- 214 A (New NH-216) near Reddypalem village in Guntur District of State Andhra Pradesh	Repalle & Koromuru Bypass of NH-216	Design km.123.040 (existing km.130.235)	Design km.136.000 (existing km.147.885)	12.854	60.84	At 90% for two lane with paved shoulder of the base rates mentioned in Table -1 above
	Kanagala Bypass of NH-216	Design km.138.025 (existing km.149.895)	Design km.140.875 (existing km.152.390)	2.85	13.38	
	Chandole Bypass of NH-216	Design km.154.150 (existing km.165.279)	Design km.157.400 (existing km.168.620)	3.25	15.25	
			Total Length	**18.954**	**89.47**	
	Bapatla Bypass of NH-216	Design km.172.520 (existing km.183.850)	Design km.181.220 (existing km.191.300)	8.7 (4-lane)	115.5	At 150% for four lane and more of the base rates mentioned in Table -1 above
	Total length of bypass			**8.7**	**115.5**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza (s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10 :-

Table-4

Location of Toll plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km.157.950 of NH- 214 A (New NH-216) near Reddypalem village in Guntur District of State Andhra Pradesh	0.482*	4.82	60% for two lane with paved shoulder of the base rates mentioned in Table-1 above

***** The details are as under:

Sl.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	164+265	164+355	Major Bridge	0.090
2	170+822	171+008	Major Bridge	0.186
3	181+605	181+705	Major Bridge	0.100
4	132+396	132+502	ROB	0.106
Total				**0.482**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315.00 (Three hundred and fifteen only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and one – half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment.

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicle plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provides no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definition including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 737.76Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, Tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized recovery of capital and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. MORTH/PIU/MPT/NHDP-IV/NH-216/16-17/13/Tollnotifcation]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.29 10:46:20 +05'30'